मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2012 (चैत्र 8, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगें तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री खनिज साधन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मॉयल लिमिटेड की 49 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री आशाराम अहिरवार, सदस्य, दतिया जिले के हंसापुर बांध में गेट न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री देवेन्द्र वर्मा, सुन्दर सिंह, सदस्य, खंडवा नगर में अतिक्रमण की शिकायत के बाद भी पुलिस द्वारा बलात कब्जा हटाने की कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर शहर में विद्युत वितरण व्यवस्था निजी हाथों में सौंपी जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के अमरवाड़ा क्षेत्र में ओला पीड़ित कृषकों को मिले चेकों का भुगतान न होने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के-
- (क) हटा नगर के मुख्य मार्ग से ग्राम जुनेरी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ख)हटा दमोह मार्ग से ग्राम लोहारी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ग) हटा मुख्य मार्ग से ग्राम रजपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा
- (घ) हटा-पटेरा मार्ग से ग्राम कुआखेड़ावाजी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह सदस्य, टीकमगढ़ जिले के-
- (क) ग्राम पंचायत दिगोड़ा से नादिया तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ख) ग्राम पंचायत बिहारीपुरा से उत्तरीकारी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ग) ग्राम सेराई से बेदौरा व्हाया धामना वेदऊ तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (घ) ग्राम पंचायत वर्माडांग में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,
- (ङ) ग्राम तलावनी से मजस्य तिलेगा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (च) ग्राम सिया से सोरका तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (छ) ग्राम भजस से कोयली तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा
- (ज) कछियाखेरा से छोवलामाता तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(3) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के-
(क) ग्राम इमलिया में नल जल योजना स्वीकृत कराये जाने,
(ख) ग्राम पंचायत महेड़ मजरा में बहुउद्देशीय भवन निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम रानीपुरा के वार्ड क्रमांक 5-6 में पक्की नाली निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम अमा के बरिया बाबा मार्ग पर स्थित नाले पर पुल निर्माण कराये जाने,
(ड.) ग्राम भदर्स में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(च) ग्राम बोड़ी, परेथा मार्ग निर्माण कराये जाने, तथा
(छ) ग्राम छाती पहाड़ी में सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

(4) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के-
(क) ग्राम कोड़िया हीरापुर में आदिम जाति छात्रावास खोलो जाने,
(ख) ग्राम हीरकरा में आदिवासी छात्रावास खोले जाने,
(ग) ग्राम खिरवा की प्राथमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
(घ) ग्राम पंचायत हिरकरा के मिडिल स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(ड.) ग्राम कटंगीकला के हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा
(च) ग्राम देवरीहटाई में आदिवासी छात्रावास खोले जाने,

(5) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य, राजगढ़ जिले के-
(क) राष्ट्रीय राजमार्ग ए.वी. रोड से गांधी चौक सारंगपुर तक सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम पढ़ाना में कन्या हाई स्कूल खोले जाने,
(ग) सारंगपुर नगर के वार्ड क्रमांक 11 एवं 12 के बीच सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,
(घ) पचोर नगर में बाय पास मार्ग निर्माण कराये जाने,
(ड.) सारंगपुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने, तथा
(च) सारंगपुर पचोर मुख्य मार्ग को ए.वी. रोड से जोड़े जोन,

(6) श्री अलकेश आर्य, सदस्य, बैतूल जिले के-
(क) ग्राम सराड़, नयेगांव, बानीधार, भावड़ी में संचालित हाई स्कूलों का उन्नयन कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम केलगांव में पाठ नदी पर स्टाप डेम निर्माण कराये जाने, एवं

(7) श्री चौधरी मेर सिंह, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम बागदरी, पिपरिया, मानसिंह, सुर्रेबनी, सिंगार दीप ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़े जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

1 घन्टा (2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (3) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. मध्यप्रदेश के अनेक जिलों में ठंड एवं पाले से फसलें बर्बाद होने की ओर सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, यादवेन्द्र सिंह, पारस दादा तथा डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 27 मार्च, 2012